

ज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
पदमकंवर पत्नी नाहरसिंह जाति राजपुत, निवासी नागोणा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		चूनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपुत, निवासी नागोणा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (20)

पुनः दर्ज

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88, 53, 188)

मुकदमा नम्बर 237 / 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.2024	<p>माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 237 / 2011 अनवान पदमकंवर बनाम चूनसिंह वगैरा में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2016 को अपास्त किया जाकर उभयपक्षकारान् को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।</p> <p>अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्देशों की पालना में पत्रावली धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते पक्षकारान् की तामिली व जवाब हेतु आइंदा दिनांक 06.02.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
06.02.25	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइंन्दा दिनांक 02.05.25 को पेश हो।</p>	
03.5.25	<p>पत्रावली पेश बाकुल्ल उपस्थित।</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
19.5.25	<p>पत्रावली पेश बाकुल्ल उपस्थित।</p> <p>पत्रावली पक्षकारान् की तामिली व जवाब हेतु दिनांक 13.6.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	



तारीख
हुक्म

30.04.26

पत्रावली पेशा वाकुलाय अनुपस्थित
 पत्रावली में प्रभावी चेंदवी हेतु न्यायालय
 समय में उपपक्ष अधिवक्ता को
 ज्ञात करावे जाने के बावजूद
 अनुपस्थित पत्रावली में प्रभावी चेंदवी
 नहीं होने तथा अनुपस्थित होने रहने
 से अदम चेंदवी व अदम हाजरी में
 खतिन की जाती है।

पत्रावली जंबट ले जम निवट
 दाखिल दफ्तार हो।

सहायक क्लर्क
 शिव (वाड़मेर)

न्यायालय
 कि/सक
 18